संख्या:2607 / सत्रह–म–2012–11–1म (6)2006

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी /
अधिशासी निदेशक,मत्स्य पालक विकास
अभिकरण बलिया,इटावा,महराजगंज, देवरिया,कुशीनगर,
बांदा,हमीरपुर, महोबा,जालौन,संतकबीर नगर,गाजीपुर,
जौनपुर,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर 2012

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 455 / नि0शा0 / 16–22–(9)वि0स्वी0 / 2012–13 दिनांक 19.09.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण फण्ड योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 120 / 6 / 2010 एफ0वाई0(डब्लू यू0) दिनांक 11.04.2012 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 33.75 लाख जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य किया गया है,के सापेक्ष्य राज्यांश रू0 3375000 / –(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार)मात्र की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना हेतु आय.व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से स्वीकृत किये जाने तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. केन्द्रांश रू0 3375000 / – (तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) निदेशक मत्स्य के स्तर पर उपलब्ध है जिसका आवंटन उनके द्वारा सम्बधित अभिकरण को किया जायेगा आय –व्ययक से केवल राज्यांश की धनराशि ही स्वीकृत की जायेगी।

2.उपरोक्त स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि 3375000 / –(रू0 तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) तथा निदेशक मत्स्य के स्तर से आवंटित किये जाने वाले केन्द्रांश रू0 3375000 / –(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) को शामिल करते हुए कुल धनराशि 67;50,000 / –(रू0 सरसठ लाख पचास हजार) सलग्नक मे उल्लिखित 13 जनपदों मे 150 मछुआ आवासों के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

3. मछुआ आवासो का निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने से पूर्व लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जाये सलंग्नक में उल्लिखित लक्ष्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में ही पूर्ण कराया जायेगा। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु योजना का अनुश्रवण सयुंक्त निदेशक मत्स्य उ0प्र0, लखनऊ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा। इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की शिथिलता होती है तो उसका दायित्व सम्बंधित अधिकारी का होगा।

संख्या:2607 / सत्रह–म–2012–11–1म (6)2006

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/
अधिशासी निदेशक,मत्स्य पालक विकास
अभिकरण बलिया,इटावा,महराजगंज, देवरिया,कुशीनगर,
बांदा,हमीरपुर, महोबा,जालौन,संतकबीर नगर,गाजीपुर,
जौनपुर,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर 2012

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 455 / नि0शा0 / 16–22–(9)वि0स्वी0 / 2012–13 दिनांक 19.09.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण फण्ड योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 120 / 6 / 2010 एफ0वाई0(डब्लू यू0) दिनांक 11.04.2012 द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 33.75 लाख जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य किया गया है,के सापेक्ष्य राज्यांश रू0 3375000 / –(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार)मात्र की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना हेतु आय,व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से स्वीकृत किये जाने तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. केन्द्राश रू0 3375000 / –(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) निदेशक मत्स्य के स्तर पर उपलब्ध है जिसका आवंटन उनके द्वारा सम्बंधित अभिकरण को किया जायेगा आय –व्ययक से केवल राज्यांश की धनराशि ही स्वीकृत की जायेगी।

2.उपरोक्त स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि 3375000 / –(रू0 तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) तथा निदेशक मत्स्य के स्तर से आवंटित किये जाने वाले केन्द्रांश रू0 3375000 / –(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) को शामिल करते हुए कुल धनराशि 67,50,000 / –(रू0 सरसठ लाख पचास हजार) सलग्नक मे उल्लिखित 13 जनपदों मे 150 मछुआ आवासो के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

3. मछुआ आवासों का निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने से पूर्व लाभार्थियो की सूची शासन को उपलब्ध करायी जाये सलंग्नक में उल्लिखित लक्ष्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में ही पूर्ण कराया जायेगा। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु योजना का अनुश्रवण सयुंक्त निदेशक मत्स्य उ0प्र0, लखनऊ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा। इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की शिथिलता होती है तो उसका दायित्व सम्बंधित अधिकारी का होगा।

शासनादेश सं0:2607 / सत्रह–म–2012– ।।–1–म (6) / 2006 दिनांक 07 दिसम्बर 2012 का सलंग्नक।

कमांक	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	मछुआ आवास निर्माण का लक्ष्य	राज्यांश कीआवंटित धनराशि(रू0लाखमें)
1	बलिया	आजमगढ मण्डल	10	2.25
2	महराजगंज	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
3	इटावा	कानपुर मण्डल	20	4.50
4	देवरिया	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
5	कुशीनगर	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
6	बॉदा	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
7	हमीरपुर	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
8	महोबा	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
9	जालौन	झांसी मण्डल	10	2.25
10	संतकबीर नगर	बस्ती मण्डल	10	2.25
11	गाजीपुर	वाराणसी मण्डल	10	2.25
12	जौनपर	वाराणसी मण्डल	20	4.50
13	मिर्जापुर	मिर्जापुर मण्डल	10	2.25
योग:			150	33.75

(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार)

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

शासनादेश सं0:2607 / सत्रह–म–2012–।।–1–म (6) / 2006 दिनांक 7 दिसम्बर 2012 का सलंग्नक।

कमांक	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	मछुआ आवास निर्माण का लक्ष्य	राज्यांश कीआवंटित धनराशि(रू0लाखमें)
1	बलिया	आजमगढ मण्डल	10	2.25
2	महराजगंज	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
3	इटावा	कानपुर मण्डल	20	4.50
4	देवरिया	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
5	कुशीनगर	गोरखपुर मण्डल	10	2.25
6	बॉदा	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
7	हमीरपुर	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
8	महोबा	चित्रकूट मण्डल	10	2.25
9	जालौन	झांसी मण्डल	10	2.25
10	संतकबीर नगर	बस्ती मण्डल	10	2.25
11	गाजीपुर	वाराणसी मण्डल	10	2.25
12	जौनपर	वाराणसी मण्डल	20	4.50
13	मिर्जापुर	मिर्जापुर मण्डल	10	2.25
योग:			150	33.75

(तैंतीस लाख पचहत्तर हजार)

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव